६निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1515) पटना, बुधवार, 17 सितम्बर 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2025

अधिसूचना संख्या 11/2025 -राज्य कर (दर)

एस० ओ० 152, दिनांक 17 सितम्बर 2025—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 3/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 546, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "9%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[(सं० सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध 21/2017–(खंड–21)11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 152, दिनांक 17 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री–कर / जीएसटी / विविध 21 / 2017–(खंड–21)11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 17th September 2025

Notification No. 11/2025- State Tax (Rate)

S.O. 152, Dated The 17th September 2025— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No. 3/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 546, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry "9%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-21)11)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)1515-571+10-डी0टी0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in